कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 46/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना – अतरौलिया | जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति **5.0 अभियान** के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थाना अतरौलिया पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 005/26* धारा **137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट** से संबंधित वांछित अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.01.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियुक्त शिवम पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा **64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 02.02.2026 को उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय मय उ0नि0 उमेश चन्द द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **शिवम पाण्डेय** पुत्र राधे गोविन्द निवासी ग्राम कठुई, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर (उम्र 20 वर्ष) को ग्राम सिकन्दरपुर मोड़ से समय **08:20 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 005/26 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- शिवम पाण्डेय पुत्र राधे गोविन्द निवासी ग्राम कठुई, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर (उम्र 20 वर्ष)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय, थाना अतरौलिया
2. उ0नि0 उमेश चन्द, थाना अतरौलिया

प्रेस नोट

थाना – कप्तानगंज | जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति **5.0 अभियान** के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 39/26* धारा **64(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट** से संबंधित वांछित अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.02.2026 को वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 01.02.2026 को नाबालिग बालिका के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म किए जाने के संबंध में अभियुक्त जालन्धर उर्फ जलान्धर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष श्री जय प्रकाश द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 02.02.2026 को थानाध्यक्ष जय प्रकाश मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **जालन्धर उर्फ जलान्धर** पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम खारीडिहा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र 51 वर्ष) को *सन्तुगंज बाग, खीरीडिहा* से समय **12:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 39/26 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष **जय प्रकाश**, थाना कप्तानगंज
2. का0 **बृजेश गौड़**, थाना कप्तानगंज
3. का0 **विनोद यादव**, थाना कप्तानगंज

प्रेस नोट

थाना – गम्भीरपुर | जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 02.02.2026

एटीएम स्कीमिंग/कैश टैपिंग द्वारा ठगी करने वाला अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, गिरोह का एक अन्य सदस्य पूर्व में मुठभेड़ में गिरफ्तार

थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा एटीएम मशीन में अवैध स्कीमिंग/कैश टैपिंग डिवाइस लगाकर ठगी करने वाले एक अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले का सफल अनावरण किया गया है।

आज ही प्रातः थाना गम्भीरपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इस गिरोह से जुड़े एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.01.2026 को वादी मुकदमा श्री धीरेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र श्री देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय, शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रानीपुर रजमो, थाना गम्भीरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 04.01.2026 को बैंक के एटीएम से खाताधारक श्री राम प्रसाद पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम पन्दहा द्वारा ₹20,000 निकासी विफल होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। बैंक द्वारा नकद मिलान करने पर मशीन में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं पाई गई। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के सूक्ष्म निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि किसी अज्ञात अपराधी द्वारा एटीएम के कैश डिस्पेंसर पर अवैध रूप से **स्कीमिंग/कैश टैपिंग डिवाइस** लगाई गई थी, जिससे नकदी डिस्पेंसर के मुहाने पर फंस गई और बाद में डिवाइस हटाकर अवैध रूप से निकाल ली गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर *मु0अ0सं0 26/2026* धारा **318(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना, फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त **रामनरेश बर्मा उर्फ मगरू** का नाम प्रकाश में आया, जिस पर धारा **317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.02.2026 को उ0नि0 विपिन द्विवेदी मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **रामनरेश बर्मा उर्फ मगरू पुत्र गुदर बर्मा उर्फ भूधर बर्मा**, निवासी मिसीरपुर जलालपुर, थाना अखण्डनगर, जनपद सुल्तानपुर को *हरईरामपुर कट* से समय लगभग **13:00 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ **उल्लेखनीय है कि** आज ही प्रातः थाना गम्भीरपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इस गिरोह से जुड़े **एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामनरेश बर्मा उर्फ मगरू, **पिता का नाम** – गुदर बर्मा उर्फ भूधर बर्मा, **पता** – ग्राम मिसीरपुर जलालपुर, थाना अखण्डनगर, जनपद सुल्तानपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 26/2026 धारा **318(4)/317(2) बीएनएस**, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 249/2017 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना अखण्डनगर, सुल्तानपुर
3. मु0अ0सं0 19/2018 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना अखण्डनगर, सुल्तानपुर

बरामदगी का विवरण-

- 10 अदद प्लास्टिक टेप लगी स्ट्रिप
- 01 अदद एल्युमिनियम व प्लास्टिक युक्त स्ट्रिप पट्टी
- 11 अदद सेलो टेप
- 01 अदद ट्रांसपेरेंट डबल साइड टेप
- 02 अदद एटीएम कार्ड
- ₹1010/- नकद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विपिन द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 उमेश कुमार, सर्विलांस सेल, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सूरज खरवार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 अजीत पटेल, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना– मेंहनगर | जनपद– आजमगढ़ | दिनांक– 02.02.2026

गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं लोक व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस को गैंगेस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.02.2026 को प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित/संदिग्ध चेकिंग के दौरान सिंहपुर बाजार में मामूर थे। इस दौरान ज्ञात हुआ कि **सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर निवासी फत्तेपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़** एक संगठित गिरोह का सरगना है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करता है। उक्त गिरोह में धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू, बुद्धु उर्फ फैजान, पप्पू उर्फ अली अहमद, आरिफ एवं राजकुमार सम्मिलित हैं। गिरोह के कृत्यों से विशेष वर्ग की भावना आहत होती है तथा क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है, जिससे कोई भी व्यक्ति सहज रूप से अभियोग दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता।

पूर्व में पंजीकृत अभियोग-

➡ दिनांक 11.03.2024 को थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवरामपुर से एक अशोक लीलैण्ड पिकअप वाहन से गोवंशीय पशु क्रूरतापूर्वक बंधे हुए बरामद हुए थे, जिसके संबंध में **मु0अ0सं0 84/24** धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡ इसी प्रकार दिनांक 22.03.2024 को **मु0अ0सं0 100/24** धारा 34 भादवि, 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। दोनों मामलों में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं।

गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही-

अभियुक्तों की संगठित आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। अनुमोदन उपरान्त **मु0अ0सं0 39/2026 धारा 2(ख)(17), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर **धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता**, निवासी सरायभादी, थाना तरवाँ, जनपद आजमगढ़ को **उटनी मोड़ गोपालपुर से समय 13:55 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता, निवासी– सरायभादी, थाना तरवाँ, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 39/2026, धारा 2(ख)(17), 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना– मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 222/23 धारा 386/406/504/506 भादवि थाना तरवा आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/5A/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर

3. मु0अ0सं0 100/24 धारा 34 भादवि व 3/5A/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर
4. मु0अ0सं0 35/25 धारा 115(2)/125/131/3(5)/324(4)/351(3)/352 BNS थाना तरवा जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 39/26 धारा 2(ख) (17),3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- नि0अ0 जयप्रकाश यादव ,थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ।
- का0 सोनू यादव,थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ।
- का0 अजय कुमार राय,थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ।